प्रेस नोट दिनांक-17.12.2025

💐 चांदी का सिक्का दिखाकर दो लाख रूपये की ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय तीन अभियुक्तो को चकिया पुलिस ने सरगना सहित दो सह अभियुक्तो को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे चन्दौली के निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक आपरेशन दिगम्बर कुशवाहा के आदेशानुसार चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण ,वांछित/वारंटी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह द्वारा गठित टीम ने थाना चकिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 250/2025 धारा 316(2)/318(4)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1.पिन्टू गिरी पुत्र जमुना गिरी निवासी खरौली थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार 2.सोहन पुत्र स्व0 लालजी राम निवासी ग्राम गयापुर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली 3. चन्द्रदेव पुत्र सुखई राम निवासी ग्राम अतायस्तगंज थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली को दिनांक 17.12.2025 को समय 05.40 बजे मंगरौर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त शिवराज चौहान उर्फ रोहित पुत्र तेजबली चौहान निवासी अर्जीखुर्द थाना चकिया जनपद चन्दौली व शिवचरन पुत्र मुन्नीलाल निवासी गयापुर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली मौके से फरार हो गये । अभियुक्तगण के पास से ठगी के 150000/- रूपये , 05 अदद सफेद धातु का सिक्का व 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण बता रहे है कि हम पांच लोगो का एक संगठित गिरोह है। पिन्टू गिरी ग्राहको को अलग अलग मोबाइल नंबरो से फोन करके अलग अलग नाम बताकर ग्राहको से बताता है कि मै सोना चांदी का व्यापारी हूँ। मेरे पास काफी मात्रा मे चांदी रखा है तथा ग्राहको को चांदी के ढेर सारे सिक्के औने पौने दाम पर देने के नाम पर किसी स्थान पर बुलाकर चांदी के सिक्के का नमूना दिखाते है। जब ग्राहक को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि यह सिक्का चांदी का है और ग्राहक औने पौने दाम पर चांदी का सिक्का लेने को तैयार हो जाता है तब उक्त संगठित गिरोह के अभियुक्तगण , ग्राहक को एक तय स्थान पर अपने सहूलियत के हिसाब से बुलाते है और पैसे लेकर कुछ ही देर मे चांदी के ढेर सारे सिक्के देने की बात कहकर वहाँ से रफूचक्कर हो जाते है। उक्त अभियोग मे पिन्टू तथा उसके अन्य साथी, दिनांक 28.11.2025 को ग्राहक/पीडित धीरज मौर्या पुत्र रामसजीवन मौर्य निवासी भेवर थाना पडरी जनपद मिर्जापुर को चांदी का सिक्का दिखाकर जागेश्वरनाथ हेतिमपुर मंदिर के पास बुलाये और चार किलो चांदी का सिक्का देने के नाम पर दो लाख रूपये की ठगी कर लिये। जिसमे मुख्य सरगना पिन्टू गिरी तथा शिवराज उर्फ रोहित चौहान सहित, चन्द्रदेव , सोहन , शिवचरन शामिल रहे। दिनांक 17.12.2025 को उक्त गिरोह मंगरौर पुल के पास खंडहरनुमा कमरे मे समय 5.40 बजे भोर मे ठगी के पैसे बांट चुके थे कि उसी समय सटीक सूचना पर चकिया पुलिस द्वारा दबिश देकर पिन्टू गिरी, सोहन व चन्द्रदेव को गिरफ्तार कर उनके पास से ठगी के कुल 1,50,000/-(एक लाख पचास हजार) रूपये व 5 अदद सफेद धातु के सिक्के बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण शिवराज चौहान उर्फ रोहित व शिवचरन अपने अपने हिस्से के 25000/- 25000/- रूपये के साथ अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गये। पूछताछ मे जानकारी हुई है कि उक्त अभियुक्तगण पेशेवर

है। तीन महीने पूर्व इसी प्रकार से 70,000 रूपये ठगी के मामले मे थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार से जेल गये थे जिसका विवरण पता किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त-

1. पिन्टू गिरी पुत्र जमुना गिरी निवासी खरौली थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र 40 वर्ष
2. सोहन पुत्र स्व0 लालजी राम निवासी ग्राम गयापुर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र 45 वर्ष
3. चन्द्रदेव पुत्र सुखई राम निवासी ग्राम अतायस्तगंज थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र 40 वर्ष
4. शिवराज चौहान उर्फ रोहित पुत्र तेजबली चौहान निवासी अर्जीखुर्द थाना चकिया जनपद चन्दौली।
5. शिवचरन पुत्र मुन्नीलाल निवासी गयापुर थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली।

अभि0 पिन्टू गिरी का अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 250/2025 धारा 316(2)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली

2- मु0अ0सं0 NIL थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार

अभि0 सोहन का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 250/2025 धारा 316(2)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 79/2009 धारा 110(जी) गुण्डा अधिनियम थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली।
3. मु0अ0सं0 11/2012 धारा 110(जी) गुण्डा अधिनियम थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
4. मु0अ0सं0 96/2012 धारा 110(जी) गुण्डा अधिनियम थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

अभि0 चन्द्रदेव का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 250/2025 धारा 316(2)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली

अभि0 शिवराज चौहान उर्फ रोहित का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 250/2025 धारा 316(2)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली

अभि0 शिवचरन का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 250/2025 धारा 316(2)/318(4)/317(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

1. 1,50,000/-(एक लाख पचास हजार रूपये)
2. 05 अदद सफेद धातु का सिक्का
3. वाहन संख्या UP67AF2681 हीरो HF DELUXE
4. वाहन संख्या UP67AK8296 हीरो स्प्लेंडर प्लस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 सुनील कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
3. उ0नि0 गोविन्द सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली
4. हे0का0 राकेश सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली
5. हे0का0 सुनील कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
6. हे0का0 सूरज कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

7. हे0का0 संदीप कुमार अत्री थाना चकिया जनपद चन्दौली
8. का0 राकेश कुमार यादव थाना चकिया जनपद चन्दौली।
9. का0 रविन्द्र कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

🔹 थाना कन्दवा पुलिस द्वारा एक महिन्द्रा पिकअप से 06 राशि गोवंश (03 सांड, 01 गाय जिन्दा व 02 गाय मृत) के साथ कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण मे , थानाध्यक्ष प्रियंका सिंह थाना कन्दवा के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर वाहन बोलेरो यू0पी0 60 ए. एन 4998 से लोकेशन दे रहे 01 नफर अभियुक्त व महिन्द्रा पिकअप नं0 यू0पी0 54 बी.टी 6528 से 06 राशि गोवंश में 03 राशि सांड 01 राशि गाय जिन्दा व 02 राशि गाय मृत को उत्तर प्रदेश से बिहार वध हेतु विक्रय करने क्रूरता पूर्वक बांधकर ले जाते समय तलाशपुर मोड के 100 मीटर आगे नहर पुल के पास 1. मोदर पुत्र दीना ग्राम ककरैत थाना कन्दवा जनपद चन्दौली 2. पिकअप नं0 यू0पी0 54 बी.टी 6528 में लदे गोवंश के चालक इन्दल सरोज पुत्र चन्दर निवासी ग्राम सारवा थाना सरायलखंसी जिला मऊ 3. बोलेरो यू0पी0 60 ए.एन. 4998 से लोकेशन दे रहे शैलेन्द्र कुमार पुत्र प्रेम चन्द्र परसपुरा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को आज दिनाँक 17.12.2025 को समय सुबह 11.43 बजे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कन्दवा पर मु0अ0सं0 116/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व 109(1)/325 बी.एन.एस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. मोदर पुत्र दीना ग्राम ककरैत थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र 42 वर्ष
2. पिकअप नं0 यू0पी0 54 बी.टी 6528 चालक इन्दल सरोज पुत्र चन्दर निवासी ग्राम सारवा थाना सरायलखंसी जिला मऊ उम्र 24 वर्ष
3. बोलेरो यू0पी0 60 ए.एन. 4998 से लोकेशन दे रहे शैलेन्द्र कुमार पुत्र प्रेम चन्द्र परसपुरा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ उम्र 36 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 116/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व 109(1)/325 बी.एन.एस

बरामदगी का विवरण

वाहन बोलेरो यू0पी0 60 ए. एन 4998 व महिन्द्रा पिकअप नं0 यू0पी0 54 बी.टी 6528 से 06 राशि गोवंश में 03 राशि सांड 01 राशि गाय जिन्दा व 02 राशि गाय मृत बरामदशुदा गोवंश की अनुमानित मूल्य 1,20,000 रूपया

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम

1-प्रियंका सिंह थानाध्यक्ष थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2-उ0नि0 चुन्नू यादव थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

3-हे0का0 राजकुमार थान कन्दवा जनपद चन्दौली

4- का0 रतनचन्द्र श्रीवास्तव थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

5- का0 सविनय कुमार सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

6-का0 धर्मराज थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

7- म0का0 रुबी सिंह थाना कन्दवा जनपद चन्दौली